

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D BRIDGE CONSTRUCTION DIVISION INDORE
OLD PALASIA PWD CAMPUS INDORE**
e-mail : eepwdbrind@mp.nic.in; Phone- 0731 2491595

Corrigendum Notice- 01

NIT No.:- 02/Tender/Indore/2026-27 Dated 15.05.2026

Tender No. 2026_PWDRB_508441_1

Key Dates


**Name of Work :-Construction of Submersible Bridge across Sukhi River on
Kanhapura Bhouraghat Road Distt. Burhanpur.(MP)**

NIT issued by this office vide memo No. 1286 dated 15.05.2026 is here by amended as follows :-

1. In Envelop A the Affidavit prescribed in Annex B duly notarized on RS. 100 stamp shall be read as 200.
In Accordance with govt. Circular no. 1939/G/Con/Tender/2026 Dated 11.05.2026 a copy of circular is enclosed for reference.
2. In Tender Doc Annexure I (formate I-5) the details of key equipment shall be furnished in accordance with the amendment issued vide govt of mp pwd letter no. 3042/3465147/40/19 Dated 08.09.2025 attached with the tender Doc and this shall be compulsory for technical qualification of the bidder.

Rest of the Term and Condition of the tender will remain unchanged.

Details of above Corrigendum can be seen on website. www.mptenders.gov.in


**Executive Engineer
PWD Bridge Construction
Division Indore (mp)**

कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परिक्षेत्र

निर्माण भवन, प्लॉट नं. 27, 28 द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

E-Mail: cepwdbridge@mp.nlc.in Ph. 2777146

कं.- 1939/जी/कॉन/निविदा/2026
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 11/05/2026

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
सेतु निर्माण संभाग,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/रीवा/ग्वालियर/सागर।


विषय:- विभाग में प्रचलित निविदा प्रपत्रों में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 9 सितम्बर 2025 को प्रकाशित भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 अनुरूप शुल्क की राशि 200/- (दो सौ रुपये) लेने के संबंध में।

विभाग में आमंत्रित निविदा प्रपत्रों में पूर्व में भारतीय स्टाम्प शुल्क राशि रु. 50/- (रुपये पचास) के स्टाम्प लेने के संबंध में नियम थे।

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2025 को प्रकाशित विधि और विधायी कार्य विभाग अनुसार मध्यप्रदेश अधिनियम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विभाग में प्रचलित निविदाओं में संविदाकार से स्टाम्प ड्यूटी Non Judicial Stamp of Rs. 50/- से बढ़कर राशि रु. 200/- (रु. दो सौ रुपये) के स्टाम्प शुल्क लिया जाना नियत है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग में यदि पूर्व से आमंत्रित निविदाओं में राशि रु. 50/- का उल्लेख हो तो उसके स्थान पर राशि रु. 200/- (दो सौ रुपये) लिये जाने संबंधी संशोधन जारी करें।

भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में शासन के राजपत्र अनुरूप राशि रु. 200/- के स्टाम्प शुल्क लिया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित होवे।



(इंजी. पी.सी.वर्मा)
मुख्य अभियन्ता,


लोक निर्माण विभाग,
सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल

पृ0कं0- / जी/कॉन/निविदा/2026
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक- 11/05/2026

1. प्रमुख अभियन्ता (रोड एण्ड ब्रिज) म.प्र. लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मण्डल भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल